अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष नं. 0141–2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 3(7)ग्रावि/ग्रुप–8/साप्ताहिक बैठक/2020 जयपुर, दिनांक :– 08/01/2021

साप्ताहिक बैठक सूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं एवं क्रियाकलापों की समीक्षा साप्ताहिक बैठक **दिनांक 11.01.2021 प्रातः 11.45 बजे से** अति. मुख्य सचिव महोदय के कक्ष (मुख्य भवन, कक्ष संख्या 3204) में बैठक आयोजित की जावेगी।

जिसमें निम्न अधिकारीगण आमन्त्रित रहेंगें –

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग
5. स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं
6. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान
7. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण
10. परियोजना निदेशक, मो एवं मू., ग्रामीण विकास

निम्न अधिकारीगण ग्रामीण विकास के समिति कक्ष (8124) में वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे।

1. अंतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), पंचायती राज।
2. उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज।
4. परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी.), ग्रामीण विकास।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
6. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।

एजेण्डा :– 1. गत बैठक कार्यवाही विवरण पर चर्चा, 2. पूर्व निर्धारित एजेण्डा अनुसार चर्चा, 3. नवीनतम प्रगति PPT पर चर्चा, 4. पंचायती राज संस्थानों की निजी आय में वृद्धि पर चर्चा।

संलग्न :– एजेण्डा बिन्दु, बैठक कार्यवाही विवरण।

08/01/2021

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
7 निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
8 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
10 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
11 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
12 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
13 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
14 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
15 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
16 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
17 संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
18 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
19 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
20 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
21 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
22 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रामीण विकास।

08/01/2024

(हितबल्लभ शर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

साप्ताहिक बैठक –एजेण्डा बिन्दु

1. **सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)**
2. **जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग**
   1. राजीव गांधी जल संचय योजना की प्रगति की समीक्षा।
   2. प्री–आईडब्ल्यूएमपी की बंद योजनाओं यथा– आईडब्ल्यूडीपी, डीडीपी, डीपीएपी की अवशेष राशि लौटाने की प्रगति की समीक्षा।
   3. प्री–आईडब्ल्यूएमपी की बंद योजनाओं के डब्ल्यूडीएफ की सूचना भिजवाने बाबत।
3. **इंदिरागांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान**
   1. IGPRS संस्थान को प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने पर चर्चा।
   2. कोर फेकल्टी की भर्ती।
   3. संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु बजट।
   4. पीटीसी के नियन्त्रण संबंधी चर्चा।
4. **बायोफ्यूल प्राधिकरण**
   1. बायोगैस संयंत्रों पर चर्चा।
   2. पौधारोपण कार्यक्रम, कन्वर्जेन्स।
5. **ग्रामीण विकास**
   1. **आवास अनुभाग** – आवास योजनाऐं।
   2. **विकास योजनाऐं** – डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी, एमपीलैड, एमएलएलैड, एमजीजेवीवाई, स्वविवेक, एमजीएजीवाई, एसएजीवाई, एसपीएमआरएम।
   3. **लेखा अनुभाग** – डीआडीए प्रशासन, ऑडिट पैरा, निविदा, सी ए ऑडिट, बजट प्रावधान।
   4. **अभियान्त्रिकी अनुभाग**– बीएसआर, जीकेएन, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी नवाचार, जीकेआरए, दिशा समिति।
   5. **प्रशासन अनुभाग** – संस्थापन, विधानसभा प्रश्न, शिकायत, जांच, पदस्थापन, न्यायालय प्रकरण, स्टोर, लोक गारण्टी अधिनियम 2011।
   6. **मो. एवं भू. अनुभाग**– बीपीएल, सैक–2011, आईडब्ल्यूएमएस, सीमएआईएस, सीएम हेल्प लाईन, निरीक्षण/भ्रमण, वीआईपी प्रकरण, पीआरसी बैठक वीआईपी विजिट्स, वी.सी. आदि।
6. **महात्मा गांधी नरेगा**
   1. योजना क्रियान्विति से संबंधित कार्य।
   2. संस्थापन संबंधी समस्त कार्य।
   3. निरीक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण, नवाचार, कन्वर्जेन्स, आईईसी, संवाद।
   4. शिकायत, विधानसभा प्रश्न, न्यायालय प्रकरण, सीमएआईएस, सीएम हेल्प लाईन।

7. स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं

1. स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की समीक्षा।
2. उन्नति प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की समीक्षा।
3. नवाचार, कन्वर्जेन्स।

8. स्वच्छ भारत मिशन

1. LOB and NOLB की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
2. सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
3. महात्मा गांधी आदर्श ग्राम अन्तर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंध (एसएलआरएम) की प्रगति की समीक्षा।

9. पंचायती राज

1. संस्थापन – राजपत्रित, अराजपत्रित, पदौन्नति प्रकरण, पदस्थापन (स्वीकृत एवं रिक्तयां आदि), पद सृजन।
2. शिकायत, जांच, अनुशासनिक कार्यवाही, न्यायालय प्रकरण, विधानसभा प्रश्न आदि।
3. प्रशिक्षण अनुभाग से संबंधित कार्य।
4. विधि अनुभाग से संबंधित कार्य।
5. आयोजना अनुभाग संबंधित कार्य, जीपीडीपी।
6. वित्त एवं लेखा अनुभाग
7. प्रोजेक्ट सैल संबंधित समस्त कार्य।
8. सीएमआईएस, सीएम हेल्प लाईन, वेब एपलीकेशन, प्लान प्लस, प्रिया सॉफ्ट, ई–पंचायत, आईईसी, विकास पत्रिका।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 3(7)ग्रावि/अनु–8/साप्ताहिक बैठक/2020 जयपुर, दिनांकः– 03/12/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2020 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न निर्देश दिये गयेः–

सामान्य निर्देशः–

- योजना एवं क्रियाकलापों, नीतिगत निर्णय, लम्बित मुद्दों की ही संक्षिप्त पीपीटी तैयार की जाये। योजनाओं की विस्तृत समीक्षा संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर करेगें।
- पंचायतीराज के अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास के योजना प्रभारी लम्बित मुद्दों एवं अपने क्रियाकलापों की संक्षिप्त पीपीटी के साथ बैठक में भाग लेगें।
- बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना पीपीटी भी तैयार की जाये।

सामाजिक अंकेक्षणः– 15 दिसम्बर से सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किया जाये।

- वर्ष 2019–20 की सामाजिक अंकेक्षण के लिए रिपोर्ट्स अपडेट करने बाबत जिलों को निर्देशित किया जाये।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना को सामाजिक अंकेक्षण में शामिल किया जाये।

जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षणः– बंद परियोजनाओं की अवशेष राशि रूपये 162.54 करोड़ जिलों से वापस प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे। वन विभाग से संबंधित कार्यों की वस्तुस्थिति प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण को प्रेषित की जाये।

- राजीव गांधी जल संचय योजना कियान्विति बाबत जिला कलेक्टरों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जावे।

बायोफ्यूलः– बायोगैस के प्रशिक्षण/कन्वेंजेन्स हेतु राजीविका के साथ समन्वय किया जाये।

इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान :– फैकल्टी चैन की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

पंचायतीराजः–

- बजट घोषणा वर्ष 2019–20, 2020–21 की कियान्विति में भूमि आवंटन तथा भवनों के निर्माण की सघन समीक्षा की जाये। एक स्लाईड प्रथक से इस हेतु तैयार की जाये।
- आयुक्त पंचायतीराज के अतिरिक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योजनाओं के समग्र नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग करें। इस हेतु अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, संयुक्त सचिव के बीच कार्यों का आवंटन किया जावे।
- पंचायत समितियों में किस–किस सेवा के विकास अधिकारी के पदस्थापित हैं, की सूचना उपलब्ध करावें।
- जीपीडीपी की गुणवत्ता सही नहीं है। विभिन्न विभागों के समन्वय से गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी बनायी जाये।
- पंचायत समिति बामनवास में नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत परिसीमन प्रकरण का शीघ्र निस्तारित किये जाये।
- सोलर लाईट प्रकरण शीघ्र निस्तारित करें।
- पंचायतीराज संस्थाओं की नीजि आय वृद्धि के संबंध में प्रथक से बैठक आयोजित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये। निजी आय वृद्धि की नियमित समीक्षा की जाये।
- न्यायालय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाये।
- ग्राम स्वराज अभियान की प्रभावी कियान्विति की जाये।

ग्रामीण विकास :–

- प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद का उपयोग पंचायत समिति के स्टाफ का वेतन भुगतान आदि की नीति निर्धारण हेतु वित्तीय सलाहकार एवं प्रभारी योजना संयुक्त रूप से चर्चा करें एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- आवास योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जिला कलक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किये जायें।
- आवास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु दी गयी राशि का शीघ्र उपयोग किया जाये। इस मद में आईजीपीआरएस के पास भी 82.00 लाख रूपये अवशेष हैं।
- रूर्बन मिशनः–रूर्बन मिशन कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण कराया जाये।
- ग्रामीण विकास की अन्य योजनाऐंः– डांग मगरा, मेवात, बीएडीपी प्रभावी कियान्विति की जावे।
- मुख्य मंत्री जिला निधि राजस्व विभाग की बजट घोषणा की कियान्विति संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर प्रारम्भ की जाये।
- राजस्थान पर्यटन नीति के दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाये।
- प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश अनुरूप फिल्ड विजिट के लक्ष्य निर्धारित कर समीक्षा की जाये।

स्वच्छ भारत मिशनः–

- ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन (SLWM) के दिशा–निर्देश/गाईडलाईन 7 दिसम्बर, 2020 तक तैयार की जाये।
- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (DIPR) एवं यूनिसेफ के सहयोग से Hand Washing Campaign की रूपरेखा तैयार की जाये।
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन (SLWM) के आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु पैनल बनायें, Bid Document तैयार करें। पृथक पृथक Bid Document 1. मूवेबल – साईकिल, रिक्शा, ई–रिक्शा आदि 2. स्टेटिक – कचरा पात्र, कन्टेनर आदि।

राजीविका

- राजीविका में ट्रेनिंग कमजोर है, आईजीपीआरएस के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं ऑन लाईन ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किये जाये।
- उन्नति प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण महात्मा गांधी नरेगा से समन्वय कर किया जाये।

महात्मा गांधी नरेगाः– **आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा योजना का पृथक प्रस्तुतिकरण** किया गया।

- महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में डिजिटल मेजरमेंट का प्रावधान किया जाये।
- एमएनआईटी जयपुर से सम्पर्क कर इलेक्ट्रोनिक मेजरमेंट की प्रक्रिया लागू करने हेतु अभियान्त्रिकी छात्रों के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(हितबल्लभ शर्मा) 03/12/2020
परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
6. स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
7. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
10. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
11. उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
12. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
13. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
14. परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
15. वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
16. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायती राज।
17. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो.एवं भू./एस.ए.पी.), ग्रावि।
18. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
20. अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
21. संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायती राज।
22. परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
23. सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।

03/12/2020

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं भू.)